लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2015 को सांय 3.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नवत अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**डा0 एस0 बी0 निमसे**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**	उपस्थित
2.	प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी	प्रतिकुलपति	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री बी.के. सिंह,	विशेष सचिव (वित्त विभाग), उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
4.	डा0 अश्वनी कुमार गोयल	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य	उपस्थित
5.	डा0 अखिलेश मिश्रा	कुलसचिव	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री एस.के शुक्ला,	परीक्षा नियंत्रक,	सदस्य	उपस्थित
7.	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य	उपस्थित

कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2015 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

एजेण्डा बिन्दु का यथावत् पाठ करते हुये सचिव, वित्त समिति (वित्त अधिकारी) द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रकरण पर विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध किसी धनराशि का व्यय निहित नहीं है, केवल विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व विनियोजित मियादी जमा में से रु0 10.00 करोड़ पर प्रतिवर्ष अर्जित ब्याज की सीमा तक गम्भीर बीमारियों में युक्तियुक्त सहायता करने की सैद्धांतिक सहमति का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय की तरफ से प्रस्तावित सहायता केवल उन्हीं गम्भीर बीमारियों के लिए है, जो उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न शासनादेशों में उल्लिखित हैं। इसमें भी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ एवं स्वामी विवेकानन्द पालिक्लीनिक, लखनऊ आदि शासकीय/ट्रस्ट के प्रतिष्ठित अस्पतालों में ही चिकित्सा कराने का प्रतिबन्ध रहेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस तरह का 'कार्पस' के बिना सीधे भुगतान की दशा में मूल धनराशि ही थोड़े दिनों में व्यषगत हो जायेगी। अतः अर्जित ब्याज की सीमा तक सहायता का प्राविधान रखा गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में विचार–विमर्श में वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री वी.के. सिंह, विशेष सचिव द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन के अन्य विश्वविद्यालयों में इस तरह की योजना लागू नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की अर्जित धनराशि भी 'लोक–निधि' है तथा विश्वविद्यालय के वित्तीय उपाशय के किसी भी प्रस्ताव पर क्रियान्वयन से पूर्व उत्तर प्रदेश शासन की पूर्वानुमति अपेक्षित है। अध्यक्ष द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था दिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार आधारभूत क्रियाकलाप यथा संस्तुति हेतु समिति का गठन, बाइलाज का गठन विश्वविद्यालय के स्टेटयूट्स में यथावश्यक संशोधन आदि करने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः वित्त समिति में लाया जाये।

F.O.

बिन्दु संख्या–03

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों से सत्यापन हेतु प्राप्त हो रहे अभिलेखों का निःशुल्क सत्यापन किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.06.2005 के बिन्दु संख्या–22 (डी) में संशोधन करते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों से सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले अभिलेखों का निःशुल्क सत्यापन किये जाने के प्रस्ताव पर पुर्नविचार करते हुये सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–04

विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन ओ0एन0जी0सी0 द्वारा प्रायोजित सेण्टर ऑफ एडवान्स स्टडीज बिल्डिंग प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन/लागत का विवरण निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Description of Cost	Amount in crores of Rs.
1.	Sanctioned BOQ cost of the project (including 1% labour cess)	23.910
2.	Service Tax 14% of (40% of BOQ Cost)	1.326
3.	Add 3% of BOQ for Contingency	0.710
3.	Add 5% of BOQ for Agency charges as per MOU with NBCC Ltd.	1.184
Total		**Rs. 27.13 cr**

उपरोक्त परियोजना लागत के सापेक्ष वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Financing Source	Amount in crores of Rs.
1.	ONGC committed funds (Rs. 10 cr less 14% service tax)	8.60
2.	As per the resolution of Executive Council dated 04 September, 2014 provision by University for infrastructure development.	2.50
Sub Total		**Rs. 11.10 cr**

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2014 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–09 पर कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.06.2014 के कार्यवृत्त पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुये यह व्यवस्था स्थापित किया गया था कि ओ0एन0जी0सी0 से निर्धारित धनराशि प्राप्त होने पर प्रथम स्तर पर विश्वविद्यालय कोष से रु0 2.50 करोड़ का अंशदान जारी किया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान की शेष धनराशि की ओ0एन0जी0सी0/शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं से प्रयास कर धनराशि की व्यवस्था की जाये, यदि ओ0एन0जी0सी0 तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था से कोई सहायता/अनुदान नहीं प्राप्त होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा शेष अंशदान की धनराशि का भुगतान बी0एड0 प्रवेश परीक्षा–2010 की उपलब्ध आय अथवा अन्य किसी मद की आय से किया जाये।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य परिषद के उक्त निर्णय के परिणाम स्वरूप रु0 2.50 करोड़ (विश्वविद्यालय अंशदान) तथा रु0 8.60 (ओ0एन0जी0सी0 अंशदान) को जोड़कर कुल रु0 11.10 करोड़ मात्र के वित्त पोषण का प्राविधान किया गया है, जबकि परियोजना का कुल लागत रु0 27.13 करोड़ है। इस प्रकार सकल लागत के सापेक्ष वित्त पोषण हेतु उक्त प्राविधानित धनराशि रु0 16.30 करोड़ कम है। कार्य परिषद के उक्त निर्णय/निर्देश के क्रम में विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय आदि संस्थाओं से सहायता अनुदान हेतु प्रयास किया जा रहा है, किन्तु अभी तक किसी भी संस्था से लिखित सहमति प्राप्त नहीं हो सकी है। जनहित की दृष्टि से उक्त महत्वाकांक्षी परियोजना किसी भी स्तर पर बाधित न हो इसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपरोक्तानुसार रु0 16.03 करोड़ का वित्त पोषण विश्वविद्यालय के आय की मदों से किया जाना आवश्यक है।

कार्य परिषद के उपरिवर्णित बैठक के कार्यवृत्त के मद संख्या–09 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उक्त परियोजना हेतु धनराशि Rs. 16.03 करोड़ का अतिरिक्त वित्त पोषण किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

F.O.

अन्य बिन्दु

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव (मा0 सदस्य समिति) ने समिति के समक्ष निम्न बिन्दु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया:–

1. दिनांक 05 से 09 अक्टूबर, 2015 को Summit (Karlsruhe) Germany में आयोजित होने वाले Summit "Industry comes closer to Academia" Make in India में डा0 एस0बी0 निमसे द्वारा प्रतिभाग किये जाने के फलस्वरूप अनुमानित व्यय रु0 1,25,000/– को स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत IMS (Administrative) मानक मद के वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्य विविध व्यय (Seminar & Conference) मद पर भारित किये जाने हेतु सर्वसम्मति से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि उक्त Summit का कार्यवृत्त एवं Writups डा0 एस.बी. निमसे द्वारा विश्वविद्यालय को अवश्य उपलब्ध कराया जाये, जिससे कि उक्त से विश्वविद्यालय लाभान्वित हो।
2. Anti raging Measures के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 टी0वी0 कैमरा आदि स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित खाते से रु0 20.00 लाख की धनराशि वार्षिक बजट 2015–16 के Fixture and Fitting मद से व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा जनहित में प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(डा0 अश्वनी कुमार गोयल),
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन

(डा0 अखिलेश मिश्रा)
कुलसचिव

(सुरेश चन्द्र उपाध्याय)
वित्त अधिकारी
14/8/15

(वी.के. सिंह)
विशेष सचिव (वित्त विभाग),
उ0 प्र0 शासन

(प्रो0 यू.एन. द्विवेदी)
प्रति–कुलपति

(डा0 एस.बी. निमसे)
कुलपति